न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—123/2015/225 (2015/00014)

1. सोना उर्फ सोनी पुत्र बख्ता, जाति गुर्जर, नि0 ग्राम मण्डावरिया, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
2. छोटू पुत्र बख्ता, जाति गुर्जर, नि0 ग्राम मण्डावरिया, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर ।
   जरिये प्राधिकृत अभिकर्ता देवकरण पुत्र छोटू, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम मण्डावरिया हाल मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र कल्याण उर्फ कलजी उर्फ कल्या, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम मण्डावरिया, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।
2. रतन पुत्र कल्याण उर्फ कलजी उर्फ कल्या, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम मण्डावरिया, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सरवाड़, जिला अजमेर ।

प्रफोर्मा **रेस्पोडेंट**

4. तीजा पत्नि छीतर पुत्री बख्ता, जाति गुर्जर, निवासी चीताखेड़ा, तहसील किशनगढ़, जिला अजमेर ।
5. नानूड़ी उर्फ बानूड़ी पत्नि भंवरलाल पुत्री बख्ता, जाति गुर्जर, निवासी रलावता, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़, दिनांक 17.4.2015 अंतर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 91/2014.

उपस्थितः—

1. श्री इन्द्रेश रामचंदानी, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 व 2 अनुपस्थित ।
3. श्री सुमित जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 4 व 5.
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार वकील रेस्पो0 संख्या 3.

निर्णय

दिनांकः—4.4.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 17.4.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2/प्रार्थीगण ने अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की एकल व संयुक्त खातेदारी की पैतृक व स्वअर्जित आय से क्रयशुदा कृषि भूमि ग्राम मण्डावरिया, तह0 किशनगढ़ में प्रार्थना पत्र में दर्शाये अनुसार अवस्थित है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 नाजायज रूप से ब्लात अतिचार, अतिक्रमण करने एवं बिना विधिक विभाजन बैचान करने पर आमादा है एवं प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी व हिस्सा आराजी पर काश्त करने में बाधार, रूकावट पैदा करते है । अतः प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार ग्राम

मण्डावरिया एवं नयागांव स्थित कृषि भूमि में प्रार्थीगण के निहित हिस्सा में प्रार्थीगण के कृषि कार्य व उपयोग, उपभोग, जुताई, बुवाई, हकाई आदि में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 व उसके परिवार के सदस्य, एजेन्ट, नौकर, चाकर, प्रतिनिधि द्वारा व्यवधान, बाधा कारित नहीं करे एव न ही करावे एवं वर्णित आराजियात का बिना विधिक विभाजन करवाये बैचान, हस्तातरंण, शक्ल परिवर्तन नहीं करे एवं प्रार्थीगण के हिस्से में खड़े हरे वृक्ष्रे की कटाई नहीं करे इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा तामूल वाद फैसला बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के जारी की जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 17.4.2015 द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांटस को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 ने विधिक प्रावधानों को नजरअंदाज कर प्रत्यर्थी संख्य 1 व 2 के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करने में कानूनी त्रुटि की है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधान आदेश 7 नियम 7 को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्रथमदृष्टया ही निरस्तनीय है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय को सहखातेदार को उसके अधिकार, मिल्कियत की कृषि भूमि पर कृषि उपयोग के अधिकारों से प्रतिबंधित नहीं करना चाहिये किन्तु अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है। अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में धारा 211 राज0काश्त0अधि0 के विधिक प्रावधानों का भी विवेचन नहीं किया है । विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 ने अपने आदेश में यह अंकित किया है कि ''अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की आपत्तियों के संबंध में मूल वाद में गुणावगुण व साक्ष्य के आधार पर निस्तारण किया जावेगा ।'' अधी0न्याया0 के इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि अधी0न्याया0 ने प्रकरण का पूर्ण निस्तारण नहीं किया है एवं अपीलांटस की आपत्तियों को नजरअंदाज किया है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि ''Grant or refusal of injunction has a serious consequences Court must make all endeavours to prtect the interest of the paries,'' इसी परिप्रेक्ष्य में योग्य अधी0न्याया0 का प्रथमदृष्टया ही आदेश अपूर्ण है । जो आपत्तियां अप्रार्थी द्वारा अपने लिखित उत्तर में प्रस्तुत की है उनका जानबूझकर समालोचन नहीं किया है एवं उपरोक्त अपीलाधीन आदेश निरंकुश एवं एकपक्षीय पारित किया है। किसी भी खातेदार, काबिज काश्तकार को जमाबंदी में अन्तरनिहित उसके हिस्से पर काश्त कार्यो से वंचित किया जाना विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है । अधी0न्याया0 ने अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांतों को भी सही रूप में समालोचन नहीं किया है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 17.4.2015 को अपास्त किया जावे ।

5. जवाब बहस में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 4 व 5 ने कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 4 व 5 बख्ता पुत्र मोती के हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के प्रावधानों के अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिसान है जिनका जन्म से ही विवादित भूमियों में हक व हिस्सा है। रेस्पो0 द्वारा भी खातेदारी का वाद प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है।

यदि विवादित भूमि का बेचान हो जाता है तो रेस्पो0 को भी अपूर्णीय क्षति होगी । अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे ।

6. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में होना माना है किन्तु इस संबंध में कोई विवेचन व विश्लेषण अपने निर्णय में नहीं किया है । अधी0न्याया0 के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस ने प्राथमिक आपत्तियां पेश की थी किन्तु अधी0न्याया0 ने प्राथमिक आपत्ति को निर्णित नहीं कर अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों को नजरअदांज कर तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांतों का समालोचन किये बिना सरसरी तौर पर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 स्वीकार कर अपीलांटस को ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है । राज0काश्त0अधि0 धारा 212 के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने हेतु आवश्यक तीन घटक यथा प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओं पर विस्तृत विवेचन एवं विश्लेषण पत्रावली पर पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर किया जाना आज्ञापक है किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश 17.4.2015 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.4.2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में उभयपक्ष को साक्ष्य एव ंसुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 4.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर